UPPG010055542025

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं.2, प्रतापगढ़।
उपस्थित–राम लाल–द्वितीय (एच०जे०एस०) जे0 ओ 0 कोड–UP 6467
फौजदारी निगरानी संख्या–154/2025

भीम सिंह आयु लगभग 54 वर्ष सुत राज बहादुर,
निवासी ग्राम–संडवा सोवंशियान, थाना लीलापुर, जनपद–प्रतापगढ़।

.....निगरानीकर्ता

बनाम

1. राज्य उ 0 प्र 0।
2. अरविन्द सिंह उम्र लगभग 61 वर्ष
3. प्रदीप सिंह आयु 48 वर्ष सुत बेनी बहादुर सिंह,
4. अनुज सिंह आयु 33 वर्ष सुत अरविन्द सिंह,

निवासीगण ग्राम–संड्वा सोवंशियान, थाना लीलापुर, जनपद–प्रतापगढ़।

.....विपक्षीगण ।

निर्णय

1. निगरानीकर्ता की ओर से फौजदारी प्रकीर्ण वाद संख्या–1732/2025, भीम सिंह बनाम अरविन्द सिंह आदि की पत्रावली में न्यायालय, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष संख्या–13 प्रतापगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांकित– 17.07.2025 के निर्णय/आदेश से क्षुब्ध होकर फौजदारी निगरानी प्रस्तुत की गयी।
2. संक्षेप में तथ्य यह है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा –173 (4) बी.एन.एस.एस प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रार्थी के पट्टीदार अरविन्द सिंह, प्रदीप सिंह व अनुज सिंह लगातार प्रार्थी के घर से सामानों की चोरी करते रहते है। घर के बाहर यदि गलती से कोई सामान छूट जाता है तो उसे चोरी कर लेते है। प्रार्थी उपरोक्त लोगों द्वारा की गई चोरी से जब परेशान हो गया तो अपने घर पर सी०सी०टी०वी० कैमरा लगवा लिया जिसकी जानकारी विपक्षीगण को भी हो गई तब विपक्षीगण यह समझकर कि प्रार्थी का घूर कैमरे के रेन्ज के बाहर है। घूर के खाद की चोरी करने लगे घूर के खाद की चोरी करते हुए सी०सी०टी०वी० कैमरे में रिकार्ड हो गया। सन् 2024 से लगातार विपक्षीगण द्वारा चोरी किये जाने की घटना का प्रार्थना पत्र थाने पर दिये जाने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हुई। उपरोक्त लोगों द्वारा चोरी की घटना लगातार सन् 2024 से प्रारंभ होकर लगातार जारी है। प्रार्थी जब इस सम्बन्ध में उपरोक्त लोगों से बातचीत करता है तो उपरोक्त लोग आमदा फौजदारी हो जाते है और भद्दी–भद्दी गालियां व जान से मार डालने की धमकी देते

Digitally signed by RAM LAL
Date: 2026.07.02 16:57:16 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

है। विपक्षीगण से प्रार्थी का आबादी का मुकदमा चल रहा है और विपक्षीगण यह धमकी देते है कि मुकदमा वापस कर लो नहीं तो तुम्हारा जीना हराम कर देंगे और तुम्हारे घर में चोरी की गंभीर वारदात करेंगे।

3. जॉचोंपरान्त विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभियोगी/प्रार्थी द्वारा धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया।

4. उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर निगरानी प्रस्तुत करते हुए अभियोगी/निगरानीकर्ता ने संक्षेप में कहा कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश विधि विरूद्ध एवं त्रुटिपूर्ण है। विचारण न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता का प्रार्थना पत्र अकारण निरस्त किया गया है। विचारण न्यायालय ने उक्त आदेश को पारित करने के लिए पुलिस रिपोर्ट को आधार बनाया है। जिसके सम्बन्ध में यह निवेदन है कि पुलिस रिपोर्ट को आधार बनाकर कोई आदेश पारित करने का कोई विधिक नियम नही है। क्योकि पुलिस से उचित व अनुकूल हल न मिलने पर ही कोई भी व्यक्ति न्यायालय के शरण में आता है। न्यायालय का आदेश चोरी की अपराध का घटना के सम्बन्ध में था जिसकी साक्ष्य भी निगरानीकर्ता के पास मौजूद थी और जिसका उल्लेख निगरानीकर्ता ने अपने प्रार्थना पत्र अं०धारा 175 (3) बी०एन०एस०एस० में किया था इसके बावजूद विचारण न्यायालय ने निगरानीकर्ता का प्रार्थना पत्र निरस्त करके विधिक भूल किया है। विचारण न्यायालय का आदेश पुनरक्षणीय है। निगरानी स्वीकार करते हुए प्रश्नगत आदेश निरस्त किया जाये।

5. सुना तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

6. प्रश्नगत निगरानी में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 17.07.2025 में शुद्धता, औचित्य एवं क्षेत्राधिकार के बारे में विचार किया जाना है।

7. पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि संबंधित थाने की आख्या के अनुसार पक्षकारों के मध्य जमीनी विवाद है। जमीनी विवाद को लेकर आवेदक भीम सिंह द्वारा चोरी का मुकदमा लिखाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया है, किन्तु प्रार्थना पत्र मे यह स्पष्ट नही किया गया है कि विपक्षी के घर से कौन सा सामान चोरी हुआ है, किस दिनांक को चोरी हुआ है। घूर, गड्ढे को लेकर पक्षकारों के मध्य जमीनी रंजिश बतायी गयी है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा मो0 इब्राहिम बनाम बिहार राज्य एवं, 2009(11) जे0 टी0 553 एस 0 सी0 के प्रकरण में अवधारित किया गया है कि "दण्ड न्यायालयों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके समक्ष कार्यवाहियों का प्रयोग शत्रुता का बदला लेने के लिये या सिविल विवादों का निपटारा करने हेतु पक्षकारों पर दबाव डालने के लिये न किया जाये।" इंडियन आयल कार्पोरेशन बनाम एन 0 ई 0 पी0 सी0 2006 ए 0 आई 0 आर 0 2780 के मामले में यह अवधारित किया गया है कि "लोगों मे अपने विवादों को निपटाने के लिये दाण्डिक न्यायालय में

वाद प्रस्तुत करने की आम प्रवृत्ति हो गयी है, इसलिये न्यायालय को आपराधिक प्रक्रिया की कार्यवाही करने से पहले समस्त तथ्यों पर विचार करना चाहिये।" माननीय उच्चतम न्यायालय की सम्मानित विधि व्यवस्था व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर संज्ञेय अपराध न पाते हुए धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. के प्रार्थना पत्र को निरस्त किया गया है। प्रथम दृष्ट्या मामला दीवानी वाद से संबंधित है। पक्षकारों के मध्य जमीनी विवाद है। ऐसा परीलक्षित होता है कि जमीनी विवाद के मामले को आपराधिक प्रकृति का बनाये जाने के उद्देश्य से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रथम दृष्ट्या मामला संज्ञेय प्रकृति या आपराधिक प्रकृति का प्रतीत नहीं होता है।

8. उपरोक्त तथ्यो एवं परिस्थतियों तथा विधि सिद्धान्तों एवं प्राविधानों को दृष्टिगत रखते हुए यह निष्कर्ष निकलता है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सम्यक परिशीलन करने के उपरान्त विधिक रूप से प्रश्नगत आदेश पारित किया गया है। आदेश दिनांकित– 17.07.2025 में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

<u>आदेश</u>

9. निगरानीकर्ता की फौजदारी निगरानी **निरस्त** की जाती है। विचारण न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष संख्या–13, प्रतापगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांकित 17.07.2025 पुष्ट किया जाता है। निर्णय की एक प्रति विद्वान विचारण न्यायालय/ कार्यालय में अविलम्ब आवश्यक विधिक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

दिनांकः–02.07.2026

(राम लाल–द्वितीय)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कक्ष संख्या–2, प्रतापगढ़।

10. उक्त निर्णय एवं आदेश आज खुले न्यायालय में, मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांकः– 02.07.2026

स्टेनो/– अभयराज

(राम लाल–द्वितीय)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कक्ष संख्या–2, प्रतापगढ़।
जे0 ओ 0 कोड–UP 6467